दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर –273009

पत्रांकः दी0द0उ0गो0वि0वि0/सम्बद्धता/2014/1867 दिनांक 2/1/2014

सेवा में,

प्रबन्धक,
बाबू विश्राम सिंह महिला महाविद्यालय
रोहारी, गोरखपुर

विषयः स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत राजनीतिशास्त्र, हिन्दी, गृहविज्ञान, इतिहास, संस्कृत, समाजशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र विषयों में** प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 30.11.2013 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर **स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत राजनीतिशास्त्र, हिन्दी, गृहविज्ञान, इतिहास, संस्कृत, समाजशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र विषयों में** प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि भविष्य में यदि कोई विसंगति चयनों के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है या फिर प्रस्तुत कोई सूचना त्रुटिपूर्ण/भ्रामक/असत्य पाई जाती है तो महाविद्यालय प्रशासन तथा प्रबन्धतंत्र के विरूद्ध नियमानुसार उचित एवं आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
स्नातक : कला संकाय		
1	श्री पंकज कुमार सागर	प्रवक्ता, राजनीतिशास्त्र
2	श्री आनन्द प्रकाश सोनकर	प्रवक्ता, हिन्दी
3	वरूणा सिंह	प्रवक्ता, गृहविज्ञान
4	डॉ0 अशोक कुमार उपाध्याय	प्रवक्ता, इतिहास
5	डॉ0 कमलेश पाण्डेय	प्रवक्ता, संस्कृत
6	श्री परमानन्द यादव	प्रवक्ता, समाजशास्त्र
7	श्री उमेश कुमार	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्याः 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांकः 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट का उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्याः 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

उप कुलसचिव (सम्बद्धता)

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर –273009

पत्रांकः दी0द0उ0गो0वि0वि0/सम्बद्धता/2015/291 दिनांक 10/05/2015

सेवा में,

प्रबन्धक
बाबू विश्राम सिंह महिला महाविद्यालय
रोहारी, गोरखपुर

विषयः स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 08.05.2015 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष तथा प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि भविष्य में यदि कोई विसंगति चयनों के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है या फिर प्रस्तुत कोई सूचना त्रुटिपूर्ण/भ्रामक/असत्य पाई जाती है तो महाविद्यालय प्रशासन तथा प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध नियमानुसार उचित एवं आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

क्र.सं.	नाम	विषय
स्नातक : शिक्षा संकाय		
1	डा0 मुन्शीलाल यादव	विभागाध्यक्ष, बी0एड0
2	श्री ओम प्रकाश सिंह	प्रवक्ता, बी0एड0
3	श्री दिनेश चन्द्र	प्रवक्ता, बी0एड0
4	श्री आशुतोष कुमार	प्रवक्ता, बी0एड0
5.	श्री दिनेश कुमार	प्रवक्ता, बी0एड0
6	श्री राजेश कुमार	प्रवक्ता, बी0एड0
7	श्री प्रमोद कुमार	प्रवक्ता, बी0एड0
8	श्री राकेश कुमार	प्रवक्ता, बी0एड0

नोटः– क्र0सं0 2 से 8 पर चयनित प्रवक्ताओं के नेट प्रमाण पत्रों की यू0जी0सी0 से वेरिफिकेशन तथा पी–एच0डी0 उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्रों का सत्यापन एक माह के अन्दर कराकर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थी का चयन अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्याः 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांकः 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट का उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्याः 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

अधीक्षक (सम्बद्धता)

फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 –

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

पत्रांक : सम्बद्धता/2016/ 683 *दिनांक 06.06./2016*

सेवा में,

प्रबन्धक,
बाबू विश्राम सिंह महिला महाविद्यालय, रोहारी, सिकरीगंज,
गोरखपुर (उ0प्र0)।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ता** के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक **14.05.2016** के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ता** के चयन का अनुमोदन इस शर्त-के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	अनामिका शाही	श्री अरविन्द कुमार शाही	12.07.1991	प्रवक्ता, बी0एड0 (ललित कलाएं)
2	कुल भूषण पाल	श्री अवध नारायण पाल	20.03.1987	प्रवक्ता, बी0एड0 (शारीरिक शिक्षा)

नोट–

1. उपर्युक्त चयनित **प्रवक्ता** का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. **अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।**

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्या 968/सत्तर–2–2013–18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा **शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।** साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

06/06/16
कुलसचिव
06/06/16
06/06/2016